38

न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर

निगरानी याचिका क्र0 सन 2018

I/निगरानी/छतरपुर/अ0रा0/2018/01290

मुन्ना उर्फ भरत लाल दुवे पिता राम मिलन दुवे

निवासी बकस्वाहा बाडे क्र0 1 तहसील व थाना बकस्वाहा

जिला छतरपुर म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

जबाहर सिंह पिता श्री लच्छी लोधी निवासी

बाडे क्र0 4 बकस्वाहा जिला छतरपुर म0प्र0 .... प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी याचिका धारा अंतर्गत 50 भू.रा.सं. 1959 म0प्र0

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर अपील क्र0 551

/बी- 121/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18/1/2018 के विरूद्ध निगरान

कर्ता निम्न लिखित याचिका प्रस्तुत करता है कि :-

1, यह कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक एवं अधिनस्थ न्यायालय की आदेश प्रति प्राप्त होने से याचिका समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। आदेश की की मूल प्रमाणित प्रति संलग्न है।

19/2/18

-: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :"-

2, यह कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रति निगरानी कर्ता द्वारा विचारणीय न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बकस्वाहा की भूमि खसरा नं0 684/1/क /1/1 रकबा 0.238 हे0 भूमि जो कि दमोह रोड पर कुये के पास स्थित है। वह इसका भूमि स्वामी है। जिस पर जबरन निगरानी कर्ता द्वारा एक टीन सैट की गुमटी जमा ली है। मना करने पर विवाद करता है। एवं अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया विचारणी न्यायालय तहसीलबकस्वाहा द्वारा निगरानी कर्ता को नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर निगरानी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1290

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	